न्यायालयः अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जलेसर एटा
उपस्थितः विकास कुमार वर्मा, **(J.O.Code. 2225)** उ०प्र० न्यायिक सेवा
परिवाद संख्या–4136/2022
विजेन्द्र सिंह–––बनाम––––जितेन्द्र शाह आदि

विजेन्द्र सिंह चौहान पुत्र माधव सिंह
निवासी–ग्राम धौलेश्वर थाना नि०कलां जिला एटा।

–––परिवादी––––

1–जितेन्द्र शाह पुत्र लाखन सिंह
2–उपदेश उर्फ सीमा पुत्र जितेन्द्र शाह
3–नेना पुत्र जितेन्द्र शाह
4–शेरा पुत्र जितेन्द्र शाह
समस्त निवासीगण–ग्राम धौलेश्वर थाना नि०कलां जिला एटा।

–––अभियुक्तगण––––

परिवाद सं०–4136/2022
अ 0 धारा–504, 506 भा०दं०सा
थाना–नि०कलां जिला एटा।

–निर्णय–

अभियुक्तगण जितेन्द्र शाह, उपदेश उर्फ सीमा, नेना, शेरा का विचारण परिवादी विजेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत परिवादपत्र के आधार पर अन्तर्गत धारा–504, 506 भा०दं०सा० के आधार पर किया गया है।

संक्षेप में परिवादी का परिवादपत्र में कथन है कि प्रार्थी व प्रार्थी का पुत्र काफी समय से बुखार से पीडित चले आ रहे थे तभी मौका देखकर दिनांक 02.10.2021 को समय करीब 07:00 बजे शाम जितेन्द्र शाह पुत्र लाखन सिंह, उपदेश उर्फ सोमा, नेना, शेरा पुत्रगण जितेन्द्र शाह निवासीगण धौलेश्वर थाना निधौली कलाँ जिला एटा ने एकराय होकर प्रार्थी की पुराना मकान बनाने के लिए 5 हजार ईटे रखी थी चोरी करके अपने मकान में लगा ली है चोरी करते समय जसवीर, सुनील, चेतन्यराज, हरिप्रकाश व अन्य लोगों ने देख लिया तो कहा कि ये ईट चोरी क्यों कर रहे हो वे ईटे तो विजेन्द्र सिंह की है तो उक्त लोग माँ–बहिन की गालियों देते हुए जान से मारने की धमकी देकर कहा कि साले सुनीला तेरे लड़के ओमकारेश्वर की पकड़ कर लेगें और चले गये। घटना की रिपोर्ट लिखाने थाना गया तो रिपोर्ट नही लिखी और जांच की कहकर टालम टोल कर दी। प्रार्थी थाने के चक्कर काट काटकर परेशान हो गया। प्रार्थी 85 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है तथा अध्यापक के पद से रिटायर्ड व्यक्ति है। थाना पुलिस अभियुक्त जितेन्द्र शाह व शेरा को थाने ले गयी लेकिन राजनैतिक प्रभाव के कारण कोई कार्यवाही नहीं की और रूपया लेकर छोड़ दिया। पुलिस कह रही है कि आपस का मामला है फैसला कर लो तुम्हारी ईटो के रूपये दिलवा देगें और रिपोर्ट दर्ज करने के लिए टालम टोल कर दी। जब प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज नही हो सकी तब प्रार्थी ने अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए दिनांक 02.12.2021 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, एटा से स्वयं मिला व रजिस्ट्री डाक से प्रार्थना पत्र दिया फिर भी आज

तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है। प्रार्थी को अब इलाका पुलिस से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नही है। तब प्रार्थी अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु श्रीमान जी के न्यायालय में प्रार्थना पत्र दे रहा है। मुल्जिमानों द्वारा गंभीर संज्ञेय अपराध कारित किया गया है बिना विवेचना के प्रार्थी की चोरी गयी ईटे बरामद होना सम्भव नही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज कराकर विवेचन कराया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है।

परिवादी ने अपने परिवादपत्र के समर्थन में धारा–200 द०प्र०सं० के अन्तर्गत स्वयं को तथा धारा–202 द०प्र०सं० के अन्तर्गत **पी०डब्लू–1** के रूप में चैतन्य राज सिंह एवं **पी०डब्लू–2** सुनील कुमार को रूप में परीक्षित कराया। जाँच के उपरान्त पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण जितेन्द्र शाह, उपदेश उर्फ सीमा, नेना, शेरा को धारा–504, 506 भा०दं०सा० के अन्तर्गत न्यायालय में आहूत किया गया।

अभियुक्तगण के न्यायालय में उपस्थित होने के उपरान्त धारा–244 द०प्र०सं० के अन्तर्गत **पी०डब्लू०–1** के रूप में विजेन्द्र सिंह को परीक्षित कराया गया है। अन्य किसी भी साक्षी को परिवादी की ओर से परीक्षित नहीं कराया गया। धारा–244 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण जितेन्द्र शाह, उपदेश उर्फ सीमा, नेना, शेरा के विरुद्ध धारा–504, 506 भा०द०सं० का आरोप दिनांक 25–11–2025 को विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया व विचारण की माँग की।

परिवादी को धारा–246 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत साक्ष्य का अंतिम अवसर दिया गया, परन्तु परिवादी अनुपस्थित। परिवादी को धारा–246 द०प्र०स० साक्ष्य का अंतिम अवसर न्यायालय द्वारा दिनाक 03–02–2026 को दिया गया। दिनाक 12–05–2026 को धारा–246 द०प्र०सं० का अंतिम अवसर न्यायालय द्वारा समाप्त किया गया। परिवादी की ओर से अन्य किसी साक्षी परीक्षित न कराये जाने के कारण साक्ष्य परिवादी समाप्त हुआ।

साक्ष्य परिवादी समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्तगण जितेन्द्र शाह, उपदेश उर्फ सीमा, नेना, शेरा का ब्यान अन्तर्गत धारा–313 द०प्र०सं० अंकित किया गया, जिससे अभियुक्तगण ने घटना को गलत बताते हुए सफाई साक्ष्य देने से इन्कार किया।

मैंने परिवादी के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया।

–समीक्षा एवं निष्कर्ष–

प्रश्नगत मामले का संक्षेप में कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थी व प्रार्थी का पुत्र काफी समय से बुखार से पीडित चले आ रहे थे तभी मौका देखकर दिनांक 02.10.2021 को समय करीब 07:00 बजे शाम जितेन्द्र शाह पुत्र लाखन सिंह, उपदेश उर्फ सोमा, नेना, शेरा पुत्रगण जितेन्द्र शाह निवासीगण धौलेश्वर थाना निधौली कलाँ जिला एटा ने एकराय होकर प्रार्थी की पुराना मकान बनाने के लिए 5 हजार ईटे रखी थी चोरी करके अपने मकान में लगा ली है चोरी करते समय जसवीर, सुनील, चेतन्यराज, हरिप्रकाश व अन्य लोगों ने देख लिया तो कहा कि ये ईट चोरी क्यों कर रहे हो वे ईटे तो विजेन्द्र सिंह की है तो उक्त लोग माँ–बहिन की गालियों देते हुए जान से मारने की धमकी देकर कहा कि साले सुनीला तेरे लड़के ओमकारेश्वर की पकड़ कर लेगें और चले गये। घटना की रिपोर्ट लिखाने थाना गया तो रिपोर्ट नही लिखी और जांच की कहकर टालम टोल कर दी। प्रार्थी थाने के चक्कर काट काटकर परेशान हो गया। प्रार्थी 85 वर्षीय वृद्ध

व्यक्ति है तथा अध्यापक के पद से रिटायर्ड व्यक्ति है। थाना पुलिस अभियुक्त जितेन्द्र शाह व शेरा को थाने ले गयी लेकिन राजनैतिक प्रभाव के कारण कोई कार्यवाही नहीं की और रूपया लेकर छोड़ दिया। पुलिस कह रही है कि आपस का मामला है फैसला कर लो तुम्हारी ईटो के रूपये दिलवा देगें और रिपोर्ट दर्ज करने के लिए टालम टोल कर दी। जब प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज नही हो सकी तब प्रार्थी ने अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए दिनांक 02.12.2021 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, एटा से स्वयं मिला व रजिस्ट्री डाक से प्रार्थना पत्र दिया फिर भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है। प्रार्थी को अब इलाका पुलिस से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नही है। तब प्रार्थी अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु श्रीमान जी के न्यायालय में प्रार्थना पत्र दे रहा है। मुल्जिमानों द्वारा गंभीर संज्ञेय अपराध कारित किया गया है बिना विवेचना के प्रार्थी की चोरी गयी ईटे बरामद होना सम्भव नही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज कराकर विवेचन कराया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है।

परिवादी की ओर से अपने उक्त कथानक को साबित करने के लिए स्वयं को बतौर **पी०डब्लू0–1** के रूप में को परीक्षित कराया है। अन्य किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया।

पी०डब्लू०–1 विजेन्द्र सिंह जो प्रस्तुत मामले के परिवादी है ने अपनी साक्ष्य अन्तर्गत धारा–244 द०प्र०सं० में कथन किया है कि घटना दिनाक 02.10.2021 को समय करीब 07:00 बजे शाम की है। प्रार्थी ने अपना नैना सोमा और उपदेश एक राय होकर चोरी करके ले गये और अपने मकान में मकान बनवाने के लिये 5 हजार रखी थी। जिन्हे जितेन्द्र शाह, शेरा चोरी करते समय जसवीर सुनील चेतन्य राय व हरिप्रकाश ने देखा तो कहा कि ये इट तो विजेन्द्र सिंह की है। तुम लोग चोरी क्यों कर रहे हो। तो उक्त लोगों ने सुनील को माँ बहिन की गालिया देते हुये कहा कि साले जान से मार देगे और तेरे लड़के की पकड कर लेगे और चले गये प्रार्थी घटना की रिपोर्ट लिखाने थाने गया तो रिपोर्ट नही लिखी थाने के चक्कर काट काट कर परेशान हो गया मैं 85 वर्ष सेवानिवृत्त व्यक्ति हूँ। चलने फिरने में असमर्थ हूँ। जब प्राथी की रिपोर्ट थाने मे नही लिखी गयी तब प्रार्थी ने माननीय न्यायालय ने यह प्रार्थना पत्र दिया था। आज भी उक्त लोग जान से मारने की धमकी देते है।

विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जब तक आपराधिक आरोप साबित नहीं होता है, तब तक अभियुक्त के निर्दोष होने की उपधारणा की जाती है। अभियोजन को प्रत्येक स्थिति में अभियुक्तगण के ऊपर आरोपित अपराध युक्तियुक्त रूप से सदहे से परे साबित करना अनिवार्य होता है। यह भार अभियुक्तगण पर नहीं होता है कि वे अपनी निर्दोषिता साबित करें।

इन साक्षीगणों को धारा–246 सी०आर०पी०सी० के साक्ष्य हेतु कई अंतिम अवसर दिये गये परन्तु उक्त साक्षीगण अनुपस्थित रहे। न्यायालय द्वारा परिवादी साक्ष्य 246 सी०आर०पी०सी० दिनांक 12–05–2026 को समाप्त किया गया। अतः उपरोक्त साक्षीगण के साक्ष्य के अभाव में उक्त कथानक की पुष्टि नहीं होती है। इसके अतिरिक्त परिवादी द्वारा अन्य किसी साक्षी को साक्ष्य हेतु परीक्षित नहीं कराया गया है।

उपरोक्त समीक्षा एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य के आधार पर न्यायालय का मत है कि परिवादी, अभियुक्तगण जितेन्द्र शाह, उपदेश उर्फ सीमा, नेना, शेरा के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–504, 506 भा०दं०सं को सन्देह से परे साबित करने में असफल रहे हैं। तद्नुसार साक्ष्य के अभाव के कारण अभियुक्तगण को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

–आदेश–

अभियुक्तगण जितेन्द्र शाह, उपदेश उर्फ सीमा, नेना, शेरा को परिवाद संख्या–4136/2022 थाना नि०कलां, अं०धारा–504,506 भा०दं०सं० जिला एटा में लगाये गये आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण उक्त प्रकरण में जमानत पर हैं, उनके व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं तथा जमानतदारों को उनके जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण धारा 437ए दं०प्र०सं० के अनुपालन में 20,000/– रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के एक–एक प्रतिभू अन्दर सप्ताह दाखिल करें।

(विकास कुमार वर्मा)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जलेसर एटा

दिनांक 22–06–2026

निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में उद्घघोषित किया गया।

(विकास कुमार वर्मा)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जलेसर एटा

दिनांक 22–06–2026